सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 02.07.2024

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी संवर्ग सीधी भर्ती परीक्षा-2023 में सॉल्वर गैंग के वाँछित 10,000/- रूपये के इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना बढ़पुरा पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी संवर्ग सीधी भर्ती परीक्षा-2023 की पारदर्शिता बनाए रखने एवं परीक्षा को निष्पक्ष रूप से कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में **दिनांक 18.02.2024** को एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना बढ़पुरा पुलिस द्वारा सॉल्वर गैंग के 03 अभियुक्तों लोकेश यादव पुत्र मनोज कुमार, राजदीप पुत्र रणवीर सिंह एवं हरी कुमार गुप्ता पुत्र इन्दल कुमार को शाकुन्तलम इन्टरनेशनल स्कूल के पास से **गिरफ्तार किया गया था। तथा दिनांक 10.06.2024 को अभियुक्त मनोज कुमार महतो को गिरफ्तार किया गया था।**

नोटः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा अभियुक्त लोकेश यादव पुत्र मनोज कुमार मु0अ0सं0 38/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में 10,000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं इनामिया/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 02.07.2024 को थाना बढ़पुरा पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 38/2024 में वाँछित 10,000/- के इनामिया **अभियुक्त लोकेश यादव पुत्र मनोज कुमार को ग्राम धूमनपुरा के पास नैसियाजी मन्दिर से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लोकेश यादव पुत्र मनोज कुमार निवासी परसौउआ थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा **उम्र 24 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 38/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 10/2024 धारा 419/420/467/468/471 आईपीसी व धारा 4/10 परीक्षा अधिनियम 1982 थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 38/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।

पुलिस टीम- निरीक्षक श्री गणेश शंकर द्विवेदी, उ0नि0 अरूण कुमार, का0 आलोक वर्मा, का0 सुनील कुमार, का0 ओमवीर सिंह, हे0का0 रामचन्द्र सैनी।